22/6/22 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
उप। रिपोर्ट प्राप्त हुई। 2510 मिसल की
गई। प्रार्थी वकील को सुनवाई किया
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने
योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर
निर्णय पत्रक से लिखाया जाकर 2510 मिसल
किया गया। पत्रावली बाद फैसला दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय उपजिलाधीश महोदय रामगढ पचवारा(दौसा)

किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0नं0 130/22 कल्पना देवी बनाम् राज0 सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22–06–2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री पं० रामबाबू शर्मा एड़वोकेट उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में दिनांक 21–06–2022 को बिन्दूवार रिपोर्ट पेश हो चुकी हैं। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि:– ख0नं0 82/32/3 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम खारीवाडा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीया उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया मुताबिक रकबा इस भूमि की पत्थरगढी कायम करवाना चाहता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार की विस्तृत रिपोर्ट तथा सीमाज्ञान आवेदन रसीद इत्यादि बिन्दूवार रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया है। मेरे विनम्र मत में उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता हैं कि दो कुशल गिरदावर, पटवारीयो की टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात ख0नं0 82/32/3 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम खारीवाडा तहसील लालसोट जिला दौसा का सीमाज्ञान किया जाकर मौके पर जाकर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करवायी जावे एवं राजकीय शुल्क प्रार्थीया से नियमानुसार प्राप्त करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०)	